निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण 1943 (श0)

(सं0 पटना 692) पटना, सोमवार, 16 अगस्त 2021

परिवहन विभाग

अधिसूचना

14 अगस्त 2021

सं०सं०-05/स्था०-01-03/2021/5037–जिला पदाधिकारी, मधेपुरा से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्री अभिराम त्रिवेदी, वरीय उप–समाहर्त्ता, मधेपुरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किया जाता है।

2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–213 (1)तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–3 का प्रयोग करते हुए श्री त्रिवेदी को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियॉ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शैलेन्द्र नाथ,
सरकार के उप–सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 692-571+10-डी0टी0पी0
Website: http://egazette.bih.nic.in